फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ के निर्देशन में दिनांक:- 25.06.2025 से दिनांक 28.06.2025 तक जनपद में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सतर्क दृष्टि रखते हुए धार्मिक/जातिगत एवं साम्प्रदायिक आपत्तिजनक पोस्ट के नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद फतेहगढ पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमृतपुर क्षेत्रान्तर्गत इस्टांग्राम यूजर सीटू यादव पुत्र धनपाल सिंह निवासी ग्राम गुजरपुर पमारान थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सम्बन्ध में थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0स0 - 8/25 धारा - 299 /353(2) BNS बनाम सीटू यादव पुत्र धनपाल सिंह निवासी ग्राम गुजरपुर पमारान थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद पंजीकृत किया गया। आरोपी सीटू यादव उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस कर मा0न्यायालय भेजा गया।
- कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत अर्जुन सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह उर्फ भूरे यादव निवासी ग्राम अवन्तीबाई नगर नगला किसानन कस्बा व थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद के सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट द्वारा पूरे ब्राह्मण समाज को गन्दी-गन्दी गालियां देना व पूरे समाज को आहत व आक्रोशित करने वाले सोशल मीडिया वक्तव्य से जातीय उन्माद फैलाने के सम्बन्ध में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर तत्काल मु0अ0स0 -195/2025 धारा-353 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट बनाम अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह उर्फ भूरे यादव निवासी ग्राम अवन्तीबाई नगर नगला किसानन कस्बा व थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है । आरोपी अर्जुन उपरोक्त के मोबाइल नम्बर की सीडीआर निकलवाई जा रही है। आरोपी अर्जुन उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। आरोपी अर्जुन उपरोक्त को शीघ्र गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- थाना शमसाबाद क्षेत्रान्तर्गत ट्विटर यूजर कृष्णा यादव पुत्र छुआरे सिंह निवासी ग्राम जैतपुर शरीफपुर छिछनी थाना शमसाबाद जिला फर्रुखाबाद द्वारा अपनी ट्विटर आईडी से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सम्बन्ध में थाना शमसाबाद पर तत्काल मु0अ0सं0- 132 /25 धारा - 196/353(2) BNS बनाम कृष्णा यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आरोपी कृष्णा यादव उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस कर मा0न्यायालय भेजा गया।
- थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत नीलेश उर्फ सुनील दुबे द्वारा एक वर्ग विशेष को गालियां देकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने संबंधी वायरल वीडियो के सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर तत्काल मु0अ0सं0- 144/25 धारा–353 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट नीलेश उर्फ सुनील दुबे पुत्र रामऔतार दुबे निवासी ग्राम बराकेशव थाना नवाबगंज जनपद फर्रूखाबाद पंजीकृत किया गया। आरोपी नीलेश उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। आरोपी नीलेश उपरोक्त को शीघ्र गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
- **जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद फतेहगढ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सतर्क दृष्टि रखते हुए धार्मिक/जातिगत एवं साम्प्रदायिक आपत्तिजनक पोस्ट होने पर तत्काल आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।**

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।